Sch. XIV—F. No. 180V. बि० ग० प्रेस, पटना।

रसीद मालगुजारी। ८ फर्द मालकी/रैयत ऐक्टी।

थाना सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर। नाम रैयत मय वल्दियत अमानवी वो सकुनत। नम्बर। 362/842 060891

दानापुर, मुस्तफापुर, श्रीरामईश्वर राय 32 १२ ७

खाता 122 प्लौट ८ 11 12

रकबा अनाजी भावली जिन्सनाम तफसील हिसाब लगान भावली।

0.34 ²⁹⁄₁₂ श्री दीपनारायण राय, सा०-दानापुर, पटना

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

जोत बाबत 2012–2013	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल- } (नगदी)	8.00				88.00	8.00
गुजारी } (भावली)	1.10				11.00	1.00
सेस ...	2.00				22.00	2.00
सूद ...	2.00				22.00	2.00
मुतफरकात ...	0.20				2.20	0.20
मीजान	8.20				109.20	8.20

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत। 2012–2013	बकाया				मोतावला हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- } (नकदी) / गुजारी } (भावली)				88.00	8.00	
				11.00	1.00	
सेस				22.00	2.00	
सूद ...				22.00	2.00	
मुतफरकात ...				2.20	0.20	
मीजान अदायकारी				109.20	8.20	= 117.40

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) —एकसौ सत्तरह रुपया सात पैसा सिर्फ

(२) नाम देहिन्दा —स्वयं

(३) कुल बकाया —० दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

(signature) 24/1/12

Shree Krishna Homes
(signature)
Partners

1254 4.62 Deed of 2000/- Dmag. 1241

BIHAR 40RS.

चालीस रुपया

भारत INDIA

४०रु. 40RS.

FORTY RUPEES

Fee paid
Adv. 13.31
Mun 1.25
Mag .44
15/-

2/।।४।६२

17/44

१ नाममोकिर:- रामदेवनसिंह वल्द रामलखनसिंह मौ० राज्य श्री हरि ज्वाला प्रसाद सिंह वल्द रामदेवन सिंह वर्तमान जाति भूमिहार कुर्मीपेशा आराम खेती बो० सकिन चामरी पो० फुलवारी थाना दानापुर सब रजिस्ट्री जिला पटना।

२ नामकिर:- रामईश्वरराय वल्द डीमनराय वर्तमान जाति यादव पेशा खेती सा० अप्रानपुर पो० फुलवारी थाना दानापुर जिला पटना।

३ किस्म दस्तावेज:- कुबाला बैनामा (Deed of Sale)

४ तायदाद:- मो० २००० दो हजार रुपया जिसका आधा मो० १००० एक हजार रुपया होता है।

५ तफसील रकबा:- नवाजी (।।।२) नम्बर ... नवाजी (३।।) ...

Shree Krishna Homes
Partners

[illegible]

नाम [illegible] सिंह [illegible]

[illegible]

[illegible]

२६-४-९२ ... [illegible]

[illegible]

रामदेव सिंह

राम लखन [illegible] सिंह

[illegible]

अतएव रामदेव सिंह - ने [illegible] कमला प्रसाद सिंह ने लोगों का विधिपालन की बात किया है। उनकी [illegible] साधु शरण सिंह - पि० हरी चरण सिंह एक [illegible] पेशा [illegible] मो० 2000) दो हजार रुपया [illegible] दिया गया है

१०५ (अ)/९२

[illegible]

१०६ (अ)/९२

सही कमला प्रसाद सिंह २६-४-९२

सही साधु शरण सिंह [illegible] २६-४-९२

१०७ (अ)/९२

BIHAR

INDIA

2 Rs

दो रुपया

दो रुपया

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

थाना - फुलवारी थाना - नम्बर रजिस्ट्री दानापुर
सब रजिस्ट्री वो जिला पटना / बलौजी परगना
खाता 36 खेसरा 172 जिनकी लगान सालाना मो०
4/1) चार रूपया उन आने नौ पैसा / बजरिये
बिहार सरकार द्वारा अंचल अधिकारी दानापुर
(पटना) ——

सर्वे

ए - डि०	मि० खेसरा	उ० — द० — पु० — प०
८ x - 30	रकबा 111 रकबा	हरिहर प्र० खाता - खेसरा
12 x - 48	बीघा	[illegible] पइन सिंह /
11 x - 36	3	[illegible]

यूं मौ० [illegible] की जायदाद मुश्तर्के [illegible]
[illegible] अदालत नाबालिग [illegible]
[illegible] [illegible] दिन [illegible] रुपया
के बाद है वो अदालत में [illegible] के मालिक
[illegible] [illegible] में [illegible]
[illegible] [illegible] चले आते है वो मालिक
व दखलकार [illegible] को [illegible] चला
आते है वो मालिकान की जरूरत [illegible] की
बाने [illegible] [illegible]
की [illegible] है इसलिए मालिकान [illegible]
[illegible] अपने अपने खुशी वो
[illegible] मो० 2000) दो हजार [illegible] में
[illegible] मालिक [illegible] [illegible]
[illegible] वो [illegible] किया [illegible]

गवाह: साधु शरण सिंह
सा: चमार चक
था: खास

गवाह: [illegible]
सा: शेखपुरा
था: दानापुर
[illegible] 2मास

Shree Krishna Homes
Partners
[illegible]

लेखना बसई इतलानामा निजाय रजिस्ट्रार
[illegible] के समक्ष प्राप्त किया व [illegible]
उसके खरीदार के [illegible]
[illegible] खरीदार [illegible]
[illegible]
रजिस्टर में अंकित करा ले [illegible]
[illegible]
[illegible] बाकी नहीं है, [illegible]
[illegible] खरीदार को दाखिल
हुआ / यदि [illegible] खरीदार को [illegible]
[illegible] खरीदार [illegible]
[illegible]
[illegible] बेनामी [illegible]
[illegible] मालगुजारी [illegible] के वसूल [illegible]
[illegible] नहीं [illegible] होगा / इसलिए
यह [illegible] बैनामा [illegible] लिख
दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे / फकत /

ता० (२६) छब्बीस अप्रैल सन १९६२ ई०
Dated the 26th April, 1962

Shree Krishna Homes
[signature]
Partners

क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	न्यायालय **उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,** **दानापुर, पटना।** **दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–4 / 16–17** **रामईश्वर राय................................अपीलार्थी** **बनाम** **शेष नाथ मिश्रा.............................विपक्षी** प्रस्तुत अपील वाद अंचल अधिकारी, दानापुर के दाखिल खारिज वाद संख्या–737 / 7 / 09–10, में दिनांक–15.10.2009 के पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी रामईश्वर राय, पिता–स्व० दीप नारायण राय, साकिन–झुनझुन रोड, शिव मंदिर के नजदीक, पोठिया बाजार, दानापुर, पो०+थाना–दानापुर, जिला–पटना द्वारा विपक्षी **शेष** नाथ मिश्रा, पिता–चन्द्रीका मिश्रा, साकिन–मुहल्ला 114 बी० आई० टी० सिन्दरी थाना–सिंदरी, जिला–धनबाद के विरूद्ध दाखिल किया है। दाखिल अर्जी कानुनी समय सीमा के बाहर है। अपीलार्थी की ओर से पृथक विलम्ब क्षांत आवेदन को पाकर विज्ञ अधिवक्ता को	

Shree Krishna Homes
Partners

सुनने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर निर्णय के दृष्टि से विलम्ब क्षांत कर अपील अर्जी को निबंधित कर सुनवाई हेतु स्वीकृत की गई। निम्न न्यायालय वाद संख्या–737/7/09–10 की मांग कर विपक्षी उत्तरदाता को अपना पक्ष रखने के लिए विधिवत् सम्मन सुचना निर्गत किया गया।

इस अपील वाद से संबंधित भूमि मौजा–मुस्तफापुर, थाना संख्या–36, खाता संख्या–182, खेसरा संख्या–11 वो खेसरा संख्या–12, कमशः रकवा–04 कट्ठा 15 धुर का दाखिल खारिज से संबंधित है, जो विवाद का मूल विषय है।

अपीलार्थी का कथन है कि अंचल अधिकारी के द्वारा विपक्षी शेष नाथ मिश्रा के जाली निबंधित दस्तावेज के आधार पर उसके जमाबंदी संख्या–362/458 से बिना उसे कोई सूचना दिये दाखिल खारिज कर दीये जो दाखिल खारिज अधिनियम के विरूद्ध है। उसका कहना है कि विपक्षी के द्वारा दाखिल वसीका संख्या–3042 वर्ष–1993 का जब निबंधन विभाग से जाँच कराया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त दस्तावेज संख्या का निबंधन नही हुआ है।

अपीलार्थी उपरोक्त आलोक में अपना दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया है कि अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–737/7/09–10, में पारित आदेश दिनांक–15.10.2009 को (Set-Aside)

Shree Krishna Homes

Partners

निरस्त किया जाए।

दाखिल कागजात :-

1. राम देवन सिंह बनाम राम ईश्वर राय का दिनांक–26.04.62 का वय वसिका का छाया–प्रति।
2. सरकारी रसीद का फोटो कॉपी का छाया–प्रति।
3. निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–3018, दिनांक–30.06.2015 एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार पत्र संख्या–03, दिनांक–30.06.2015 का छाया–प्रति।
4. मेमो नं०–543, दिनांक–07.07.2015 का छाया–प्रति।
5. पत्रांक–1478, दिनांक–14.07.2015 का छाया–प्रति।
6. पत्रांक–3362 एवं 3393, दिनांक–20.07.2015 एवं 21.07.2015 का छाया–प्रति।
7. श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स० का निवेदन संख्या–4186/15 दिनांक–29.07.2015 का छाया–प्रति।
8. पत्रांक–1577, दिनांक–29.07.2015 का छाया–प्रति।
9. ज्ञापांक–2311, दिनांक–28.11.2015 का छाया–प्रति।
10. राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग, पत्रांक–3 का छाया–प्रति।
11. आश्वासन संख्या–76/15, दिनांक–23.04.2015 का छाया–प्रति।

Shree Krishna Homes
Partners

12. तारांकित प्रश्न संख्या–350, दिनांक–24.03.2015 का छाया–प्रति।

13. निबंधन शाखा, पटना पत्रांक–230, दिनांक–15.02.2016 का छाया–प्रति।

14. जिला निबंधक, पटना का पत्रांक–1577, दिनांक–29.07.2015 का फोटो कॉपी एवं पत्रांक–168, दिनांक–29.01.2016 का छाया–प्रति।

15. जिला निबंधक पटना का पत्रांक–173, दिनांक–30.01.2016 एवं पत्रांक–218, दिनांक–09.02.2016 का छाया–प्रति।

विपक्षी को प्रयाप्त समय देने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अनुपस्थित रहना अपीलार्थी के दावा का मौन समर्थन है। विपक्षी के अभिरूची के अभाव में वाद को उसके विरूद्ध करते हुये एकपक्षीय सुनवाई किया गया।

अंचल से प्राप्त मूल अभिलेख दाखिल खारिज वाद संख्या–737/7/2009–10 का अवलोकन किया। विपक्षी शेष नाथ मिश्रा के द्वारा वसीका संख्या–3042 के आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है, जिसमें अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–737/7/2009–10 प्रारम्भ कर कार्रवाई की गई

Shree Krishna Homes
Partners

है, परन्तु अभिलेख में जमाबंदीदार रैयत राम ईश्वर राय को बिना कोई व्यक्तिगत नोटिस दिये उनके जमाबंदी में से दाखिल खारिज कर दिया गया है, जो बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के प्रतिकूल है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के दलीले सुनने पक्षकारों द्वारा दाखिल अर्जी दावा वो लिखित जवाब का विश्लेषण एवं मूल दाखिल खारिज अभिलेख वाद संख्या–737/7/2009–10 वो दाखिल कागजातो के अध्ययन से परिलक्षित होता है कि विपक्षी शेष नाथ मिश्रा के सृजित जाली दस्तावेज संख्या–3042 के आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा बिना अपीलार्थी, रामईश्वर राय को व्यक्तिगत सूचना दीये उनकी जमाबंदी संख्या–362/458 से दाखिल खारिज कर दिया है, जो नियमसंगत नही है, इसकी पुष्टि Office of the Registrar of Assurances, Kolkata के Memo संख्या–543, दिनांक– 07.07.2015 से होता है।

अतः उपरोक्त आलोक में अपील अर्जी को स्वीकृत करते हुये रामईश्वर राय, पिता–दीपनारायण राय, साकिन–पोठिया बाजार, दानापुर पटना के जमाबंदी संख्या–362/458 को पूर्व के तरह यथावत् रखते हुये, अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–737/7/2009–10 में दिनांक–15.10.2009 के पारित आदेश

Shree Krishna Homes
Partners

को (Set Aside) किया जाता है तथा इस आलोक में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचलाधिकारी, दानापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, दानापुर

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार दानापुर।

Shree Krishna Homes

Partners

1- नाम लेख्यकारीगण : 1- श्री दीप नारायण राय वल्द स्व0 रघुवीर राय

2- श्रीमती चन्द्रावती देवी जौजे श्री दीप नारायण राय ----- प्रथम पक्ष

3- श्री जय प्रकाश राय वल्द श्री दीप नारायण राय ----- द्वितीय पक्ष

4- श्री ओम प्रकाश राय वल्द श्री दीप नारायण राय ----- तृतीय पक्ष

5- श्री रामेश्वर राय वल्द श्री दीप नारायण राय ----- चतुर्थ पक्ष

5- श्री विनय कुमार राय वल्द श्री दीप नारायण राय ----- पंचम पक्ष

सभी का निवास स्थान दानापुर पेठिया बाजार, थाना वो पत्रालय दानापुर कैन्ट, जिला पटना । सभी भारतीय नागरिक ।

2- नाम लेख्यधारी : आपस में ।

3- लेख्य प्रकार : खानगी बंटवारा आपस में [नामुदहा] ।

Shree Krishna Homes
Partners

१- मूल्यांकन : - - - - - - : - - - - -

२- सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण । : तफसील नम्बर-1

यह जायदाद सभी पक्षों से बंटकर द्वितीय पक्ष श्री जय प्रकाश राय को मिला वो हक हासिल हुआ । इसमें प्रथम पक्ष वो तृतीय पक्ष वा पंचम पक्ष को किसी किस्म का कोई एलाका वो सरोकार बाकी न रहा थो न कभी भविष्य में ही होगा ।

चार्ट नम्बर-1

मकानी हवाली वो समागी दरोबस्त (16) सोलह आना हिस्सा मकान पोख्ता तीन मंजिला जिसकी पैमाईश 13 फीट चौड़ा उत्तर-दक्षिण वो 27 फीट लम्बा पूरब पश्चिम मय कुल हक वो हकूक मय कुल तैनाफयात मोतअल्के मकान मैनगान वाके मौजा दानापुर कैन्टोनमेन्ट बाकी स्थान, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना के अन्दर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर वाके है जिसका वार्ड नम्बर-1, महाल नम्बर-2, मकान नम्बर-59 क्षेत्रफल रकबा मकानी 405 वर्ग फीट ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
गली बादहू राम बाबू रस्तोगी ।	कपिलदेव राय वगैरह ।	राम बल्लभ राय ।	सदर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर ।

चार्ट नम्बर-2

मकानी (16) सोलह आना हिस्सा मकान पोख्ता दो मंजिला मय कुल हक वो हकूक मय कुल तैनाफयात मोतअल्के मकान मैनगान वाके मौजा कस्ब दानापुर महल्ला पक्की घाट, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना के अन्दर कैन्टोन-

Shree Krishna Homes

Partners

कैन्ट बोर्ड दानापुर वाके है । जिसका वार्ड नम्बर-1, महाल नम्बर-6, मकान नम्बर-24 पुराना वो नया वार्ड नम्बर-2, महाल नम्बर-1, मकान नम्बर-71 मोसल्लम इराजी क्याजी तेरह धुर है ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
मंदिर पशुपति नाथ के ठाकुरबाड़ी ।	बोका पासी	ओंका ठाकुर	सड़क सरकारी कैन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर ।

वार्ड नम्बर-3

क्याजी (13 कट्ठा 2 धुर 3 धुरकी) तेरह कट्ठा दो धुर तेरह धुरकी इराजी वाक्या हकियत रैयती कायमी नकदी वाके मौजा मुस्तफापुर परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका तौजी नम्बर-5276, थाना संख्या-35, खाता संख्या-182, खसरा संख्या-11 वो 12 का पार्ट कायमिन्हारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
ओम प्रकाश राय	हर प्रसाद महतो	उम्हा पाण्डेय	बोका सिंह

जमीमा नम्बर-2

यह जायदाद [illegible] से बंटवारा [illegible] श्री ओम प्रकाश राय को मिला तो हक हासिल हुआ । इनके कब्जा वो दखल में बहुई में पंचम पक्ष को विक्री किया जा कोई एतराज वो सरोकार बाकी । रहा ।

वार्ड नम्बर-1

क्याजी (15) आना जिसे मकान वो [illegible] वो [illegible] मय कुल हक वो हकूक मय कुल तैयारियात मय अरावह मय मुतअल्लिक तैयारियात

Shree Krishna Homes

Partners

वाके मौजा अम्ब दानापुर पैठिआपर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना वो अन्दर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर वाके है । जिसकी वार्ड नम्बर-1, मकान नम्बर-2, मकान नम्बर-6। चौहद्दी लगराजी मवाजी । [illegible] कट्ठा ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
नारायण लाल हलवाई लाल हीरा लाल ।	गौरी चरण राय लाल मनोहर राय वगैरह ।	मो0 मंगी लाल मुन्शी लाल यादव	सड़क कैन्टोनमेन्ट बोर्ड मैदान सरकारी ।

वार्ड नम्बर-2

मवाजी (14 कट्ठा 12 धुर 3 धुरकी) चौदह कट्ठा बारह धुर तीन धुरकी रकबी वास [illegible] रैयती [illegible] नहरी वाके मौजा मुस्तफापुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका तौजी नम्बर-5276, थाना नम्बर-36, खाता नम्बर-182, खसरा नम्बर-11 वो 12 का पार्ट भाग जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
राजेश्वर राय	जय प्रकाश राय ।	सन्ना पईन	[illegible]

जमीमा नम्बर-3

यह [illegible] अभी [illegible] है [illegible] श्री राजेश्वर राय को [illegible] द्वितीय वो तृतीय वो पंचम [illegible] को किसी किस्म का कोई दावी वो मोतालबा बाकी न रहा वो न [illegible] है [illegible]

वार्ड नम्बर-1

मवाजी (1 कट्ठा) एक कट्ठा रकबी मैं [illegible] के [illegible]

Shree Krishna Homes
Partners

मकान का कुल हक को कबुल कर कुल रेयामवात मोतलके मकान रेन्टल वाके मौजा कुलकुलवाला रोड दानापुर केन्ट, परगना फुलवारी, थाना को सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री को जिला पटना के अन्दर केन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर वाके है । जिसका वार्ड नम्बर-1, सर्किल नम्बर-2, मकान नम्बर-26 मोसलमा ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
विश्वनाथ साव वो विश्वनाथ राय	पांचू राय	आम रोड केन्टोनमेन्ट	कौशी साव

प्लॉट नम्बर-2 उलाजमकुन्ना विकास राय

मकानी |16 कट्ठा 2 धुर 3 धुरकी| सोलह कट्ठा दो धुर तीन धुरकी खराजी वास्ते हौसला रैयती जायदी नकदी वाके मौजा मुस्तफापुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका तौजी संख्या-5276, थाना संख्या-36, खाता संख्या-182, खसरा संख्या-9 वो 11 वो 12 का पार्ट खासमहाली बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर |पटना| ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
विजय कुमार राय ।	ओम प्रकाश राय।	कन्हा पईन	मौजा मैंह

जमीन नम्बर-4

यह जायदाद सभी भाईयों के बंटवारा में हिस्सा विजय कुमार राय को मिला को हासिल हुआ इसमें प्रथम या दूसरे पक्ष को किसी किस्म का एतराज वो उजोजर बाकी न रहा और न कभी भविष्य में ही होगा ।

विजय कुमार हिस्सा

प्लॉट नम्बर-1

मकानी |16| सोलह आना जिसका मकान परेल्ला को मौजा

16-2-3

Shree Krishna Homes

मय कुल हक वो हकूक मय कुल तेहतुलअरज मौजूदा मकान नं० वाके मौजा दानापुर कैन्ट पेठिया बाजार, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना के अन्दर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर वाके है । जिसका वार्ड नम्बर-1, ब्लाक नम्बर-2, मकान नम्बर-37 का पार्ट पुराना लाट मकान नं० 37 बी० [illegible] पैमाइशी रकबी 900 वर्ग फीट है ।

उत्तर	दक्खिन	पूरब	पश्चिम
पुरुषोत्तम दास वो जानकी प्रसाद पार्ट मकान नं०-37	भागवत प्रसाद ।	सड़क कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।	रास्ता नम्बर वो अधीन वगैरह

पार्ट नम्बर-2

रकबी [illegible] 37 डी० [illegible] एराजी [illegible] हौलिंग रैयती [illegible] नकदी वाके मौजा मुस्तफापुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका तौजी नम्बर-5276, थाना नम्बर-35, खाता नम्बर-217, खसरा नम्बर-63 का पार्ट जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

उत्तर	दक्खिन	पूरब	पश्चिम
देह खरीद गोप ।	देह खरीद गोप ।	देह खरीद गोप ।	[illegible]

पार्ट नम्बर-3

रकबी (14 कट्ठा 10 धुर) चार कट्ठा दस धुर एराजी [illegible] हौलिंग रैयती [illegible] नकदी वाके मौजा मुस्तफापुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका तौजी [illegible]-5276, थाना नम्बर-35, खाता नम्बर-152, खसरा नम्बर-8 (आठ) का पार्ट जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

Shree Krishna Homes

Partners

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
हरिहर महतो	रामेश्वर राय	मन्ना पईन	बोका सिंह

" संदर्भ "

हकीकत यह है कि खाने नं0-3 में वर्णित जमीमा नम्बर-1 ता जमीमा नम्बर-4 की सम्पत्ति लेखकारीगण फरीकैन के इजमाली रुपयों से प्रथम पक्ष एंव द्वितीय पक्ष ता पंचम पक्ष के नाम से अलग-अलग खरीदारी है । जिसपर लेखकारीगण फरीकैन इजमालन काबिज दाखिल रहते चले आ रहे थे कि इन दिनों लेखकारीगण फरीकैन के बीच आपस में काफी मनमुटाव सा पैदा हो गया है । यह मनमुटाव कहीं गम्भीर झगड़े का रुप न अख्तियार कर ले लेहाजा लेखकारीगण फरीकैन ने एक राय वो एक विचार करके उक्त लेखकारीगण अपने-अपने स्वेच्छा से आपस में चार जमीमा बनाये और यह निर्णय लिया कि जमीमा नम्बर-1 की सम्पत्ति द्वितीय पक्ष जय प्रकाश राय को जमीमा नम्बर-2 की सम्पत्ति तृतीय पक्ष श्री ओम प्रकाश राय जी को जमीमा नम्बर-3 की सम्पत्ति चतुर्थ पक्ष रामेश्वर राय जी को जमीमा नम्बर-4 की सम्पत्ति पंचम पक्ष विजय कुमार राय को मिला जिसपर उक्त फरीकैन अपने-अपने मिले हिस्से के अनुसार काबिज दाखिल होकर वो रहकर जिस प्रकार से चाहे अपने अपने उपयोग एंव उपभोग में लावे वो नाम अपना-अपना जमीन्दारी विभाग वो केन्टोनमेन्ट बोर्ड दानापुर में दर्ज करा लेवेंगे इसमें किसी किस्म का कोई दावी वो मोतालबा बाकी न रहा बल्कि जो कुछ भी हक वो अधिकार लेखकारी फरीकैन को हासिल था वह सब कुल हक वो हकूक आज के दिन अपने अपने मिले हिस्से के अनुसार लेखकारी फरीकैन को हासिल हुआ । वो आज के दिन से कोई भी फरीकैन एक दूसरे के मिली सम्पत्ति पर कोई तरह का हक वो अधिकार नहीं जतायेंगे । यदि जतायेंगे तो वह वसिका खानगी बंटवारा के अनुसार रद वो गैर कानूनी होगा । वो काबिल समायत किसी भी अदालत का न होगा ।

Shree Krishna Homes